

## नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ परिसर में संस्थान की निष्प्रयोज्य डेड स्टक सामग्री जैसे-पुराने फर्नीचर, लोहे की खिड़की, दरवाजे, अलमारी आदि सम्बन्धित सामानों की नीलामी “जहां है जैसे है” के आधार पर दिनांक 15 जून, 2023 के मध्यान्ह 12:00 बजे इस संस्थान पर आयोजित होगी। इच्छुक व्यक्ति/संस्था नीलामी से पूर्व धनराशि ₹0 5,000/- (₹0 पाँच हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद के रूप में जो महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के नाम देय होगा, को जमाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी की शर्तें एवं सामग्री की सूची आदि संस्थान की वेबसाइट [www.sirdup.in](http://www.sirdup.in) पर उपलब्ध हैं।



कृते महानिदेशक

## नीलामी की शर्तें

1. इच्छुक व्यक्ति / फर्म / संस्था नीलामी से पूर्व रु 5,000/- (रु 0 पांच हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट / नकद जमानत धनराशि अर्नेस्ट मनी के रूप में जो महानिदेशक दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के नाम देय होगा को जमाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं।
2. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात अर्नेस्टमनी को जमानत धनराशि उसी में समायोजित कर ली जायेगी।
3. नीलामी बोली के उपरान्त कुल धनराशि को जमा करने के उपरान्त ही नीलामी सामग्री ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
4. सामनों को कार्यालय अवधि में कभी भी देखा जा सकता है।
5. अधिकतम बोलीकर्ता ऊपर से तीन लोगों को छोड़कर शेष की जमानत धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी।
6. बोली स्वीकृति के तुरन्त बाद न्यूनतम एक तिहाई धनराशि उसी दिन जमा करनी होगी।
7. उल्लिखित नीलामी की सामग्री 03 दिन के अन्दर संस्थान परिसर में हटाना होगा।
8. उपरोक्त नीलामी सम्बन्धी कार्यवाही दिनांक 15 जून, 2023 को मध्यान्ह 12:00 बजे संस्थान परिसर में की जायेगी।
9. कोई भी विवाद की दशा में वाद का क्षेत्र जनपद लखनऊ न्यायालय होगा।
10. स्वीकृति बोलीदाता द्वारा निष्प्रयोज्य नीलाम किये गये सामानों को हटाने के समय यदि को शासकीय क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति की समस्त जिम्मेदारी स्वीकृत बोलीदाता की होगी तथा उसे सामग्री को परिसर से ले जाने के पूर्व क्षतिपूर्ति / ठीक कराना होगा।
11. महानिदेशक दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ को बिना कारण बताये नीलामी को रद्द करने का अधिकार होगा। इस विषय में उनका निर्णय अन्तिम होगा।



महानिदेशक